न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2017 (GCMS 2017/00046)	09.02.2017	11.08.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये विकास अधिकारी भदेसर पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

निगराकार

बनाम

1. श्रीमती सागर कुंवर पत्नि अर्जुन सिंह निवासी ब्यावर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

गैर निगराकार

–:: निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राजअधिनियम 1994, विरूद्ध ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा तहसील भदेसर द्वारा ग्राम ब्यावर में मिसल/पट्टा नम्बर 1906 दिनांक 04.12.2004 से 10000 वर्ग फीट का जो विक्रय विलेख जारी किया है उसे निरस्त करवाने हेतु ::–

उपस्थिति :– अनिल कुमार टेलर, (सहायक विकास अधिकारी बडीसादडी) अनुपस्थित — निगराकार

गैर निगराकार संख्या 1, 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर के कार्यवाही विवरण के अनुसार विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा (तत्कालीन सरपंच) जारी किया गया तथा कथित यह पट्टा पूर्ण नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से जारी किया गया, तत्कालीन सरपंच ने पदीय हैसियत का नाजायज दुरूपयोग करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निगराकार द्वारा बिना विलम्ब किये यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा कार्यवाही विवरण के अनुसार में विपक्षी संख्या 1 को पट्टा आपसी बातचीत से 33300 राशि वसूल करके जारी किया गया है, जबकि डीएलसी दर अनुसार 200050 रूपये जमा होना था। पंचायत ने विक्रय की इस कार्यवाही में नियमों के तहत कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाने से यह कार्यवाही नियमों के विपरित होने से यह विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के हम में जारी किया गया तथा कथित पट्टा पूर्णतया विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल आपत्ति के है। 10000 वर्ग फीट भूमि उसी स्थिति में आपसी बातचीत से दी जा सकती है जब यह भूमि निलामी से नहीं दी जा सकती हो व आवेदनकर्त्ता केवल एक ही हों, ऐसी आबादी भूमि की पट्टी आपसी बातचीत से डी0एल0सी0 दर से विक्रय की जा सकती है, लेकिन पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को केवल 33300/– रूपये राशि की लेकर कार्यवाही विवरण के अनुसार पट्टा जारी किया गया है जबकि इस गॉव की डी0एल0सी0 रेट ग्राम पंचायत द्वारा ली गई राशि से लगभग 30 गुना ज्यादा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर पंचायत को नुकसान पहुॅचाया है। इस बारे में अंकेक्षण में भी आपत्ति अंकित हुई थी। उक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर द्वारा आपसी बातचीत के आधार पर पट्टा जारी कर भारी अनियमितता कर अपने चहतों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंकित प्रावधानों को दर–किनार कर भूखण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी किया गया है, अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2018 से ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड प्रेषित किया गया जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 11.08.2021 को गैर निगराकारान संख्या 1, 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर निगराकार संख्या 1, 2 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। कार्यालय पंचायत समिति भदेसर के पत्रांक/पंसभ/पंचायत/2016–17/1109 दिनांक 28.03. 2017 से अवगत कराया गया कि प्रकरण संख्या 006/2017 विकास अधिकारी बनाम सागर कुंवर पत्नि अर्जुनसिंह राजपूत निवासी ब्यावर में अंकेक्षण वर्ष 2004–05 के पैरा संख्या 23(ब) के अनुसार राशि 166750/– अक्षरे एक लाख छासठ हजार सात सौ पचास रूपये ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा को नाम चेक संख्या 001516 दिनांक 14.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.2017 ''द फेडरल बैंक शाखा मुधवन, उदयपुर के नाम का चैक प्राप्त हो चुका है। उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 11.08.2021 गैर निगराकार की और से अनिल कुमार टेलर, प्रतिनिधि सहायक विकास अधिकारी, भदेसर हाजिर आये एवं प्रकरण में पक्षकारान की अनुपस्थिति रिकार्ड किये जाने से बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर सहायक विकास अधिकारी भदेसर द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। अपनी बहस में सहायक विकास अधिकारी भदेसर द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर के कार्यवाही विवरण के अनुसार विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा (तत्कालीन सरपंच) जारी किया गया तथा कथित यह पट्टा पूर्ण नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से जारी किया गया, तत्कालीन सरपंच ने पदीय हैसियत का नाजायज दुरूपयोग करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही निगराकार द्वारा बिना विलम्ब किये यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा कार्यवाही विवरण के अनुसार में विपक्षी संख्या 1 को पट्टा आपसी बातचीत से 33300 राशि वसूल करके जारी किया गया है, जबकि डीएलसी दर अनुसार 200050 रूपये जमा होना था। पंचायत ने विक्रय की इस कार्यवाही में नियमों के तहत कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाने से यह कार्यवाही नियमों के विपरित होने से यह विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के हम में जारी किया गया तथा कथित पट्टा पूर्णतया विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल आपत्ति के है। 10000 वर्ग फीट भूमि उसी स्थिति में आपसी बातचीत से दी जा सकती है जब यह भूमि निलामी से नहीं दी जा सकती हो व आवेदनकर्त्ता केवल एक ही हों, ऐसी आबादी भूमि की पट्टी आपसी बातचीत से डी0एल0सी0 दर से विक्रय की जा सकती है, लेकिन पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को केवल 33300/– रूपये राशि की लेकर कार्यवाही विवरण के अनुसार पट्टा जारी किया गया है जबकि इस गॉव की डी0एल0सी0 रेट ग्राम पंचायत द्वारा ली गई राशि से लगभग 30 गुना ज्यादा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर पंचायत को नुकसान पहुॅचाया है। इस बारे में अंकेक्षण में भी आपत्ति अंकित हुई थी। उक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर द्वारा आपसी बातचीत के आधार पर पट्टा जारी कर भारी अनियमितता कर अपने चहतों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंकित प्रावधानों को दर–किनार कर भूखण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) जारी किया गया है, अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त फरमाया जावें, अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक विकास अधिकारी भदेसर ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवादित पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) के आबादी भूमि का विक्रय विलेख के द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को अंतरित किया गया है। पंचायतीराज नियम 1966 के नियम 167 में प्रावधित किया गया है :–

167. **Sale deed.-**

(1) After payment has been made as provided in Rule 153, the sale has been confirmed as provided in Rule 154, and the appeal if any under Rule 166 has been disposed of, or if no appeal has been preferred, the time limits prescribed therefore has expired a deed set out in Form XXIII evidencing the sale of Abadi land shall be executed on behalf of the Panchayat.

(2) Patta shall be signed by Sarpanch and Secretary jointly.

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167 में प्रावधित किया गया है कि नियम 153 में उपबंधितानुसार संदाय कर दिये जाने, नियम 154 में उपबंधितानुसार विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने और नियम 166 के अधीन अपील, यदि कोई हो, निपटा दिये जाने या यदि कोई भी अपील नहीं की गई हो तो उसके लिए विधित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात् आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाला प्रारूप 23 में लिखा गया एक विलेख पंचायत की ओर से निष्पादित किया जायेगा।

प्रावधानानुसार पंचायत किसी भी आबादी भूमि को विक्रय विलेख के जरिये अंतरित कर सकती हैं, किन्तु उक्त प्रावधान शर्तो के अधीन है। जहॉ ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167 के अधीन विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के संबंध में नियम 152 से नियम 166 तक की पूर्ण प्रक्रिया की पालना किये जाने के पश्चात् ग्राम पंचायत पंचायतीराज नियम 167(1) के अधीन ही विक्रय विलेख निष्पादित कर सकती है एवं उक्त प्रावधान नियमों के तहत आज्ञापक प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीया गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 24.10.2003 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में प्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा गांव ब्यावर स्थित नई आबादी में आवासीय पट्टा दिलाने का निवेदन किया गया है। अभिलेख के संलग्न आज्ञाओं की सूची में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकित आज्ञाये मुद्रित होकर प्रारूप में जहॉ कतिपय रिक्त कॉलमों में अंकन किया जाकर पूर्ति की गई है। एवं आज्ञाओं की सूची में दिनांक की क्रमबद्धता का अभाव है। संलग्न आबादी भूमि के निरीक्षण पपत्र भी पूरी तरह से रिक्त है एवं इस पर किसी भी समिति सदस्य/वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं होकर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है।

आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपत्ति मांगने का सूचना पत्र पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एवं एक मास की अवधि निर्धारित की गई है। जबकि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली में संलग्न नोटिस के अवलोकन से जाहिर होता है कि नोटिस में भूमि का विवरण अंकित नहीं है, तथा नोटिस प्रारूप पूरी तरह से रिक्त है इस पर किसी भी प्रकार का अंकन नहीं है केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है, जबकि विधि अनुसार उक्त नोटिस में भूमि का विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही उक्त नोटिस पर ग्राम विकास आधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तथा नियम 148 के उप नियम (2) मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त नोटिस को प्रचारित किया जाना जाहिर नहीं होता है। मौका पर्चा दिनांक 10.12.2004 पत्रावली में संलग्न है। पर्चा मौका अनुसार नई आबादी में भूखण्ड पुराने कब्जे शुदा मकान का सरपंच, 3 वार्ड पंचों एवं मौतबिरान के समक्ष देखा गया। इस अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में आबादी आरक्षित है, किन्तु पर्चा मौका दिनांक 10.12.2004 पर हल्का पटवारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थीया/गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख पत्रावली में संलग्न है। शपथ पत्र में भूखण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार का वर्णन अंकित नहीं होकर कॉलम रिक्त है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित पट्टा पुराने कब्जे शुदा भवन के संबंध में है अथवा विक्रय विलेख के जरिये भूखण्ड के संबंध में जारी किया गया है। इस संबंध में यह पाया है कि जहॉ प्रार्थीया/गैर निगराकार संख्या 1 को विवादित पट्टा नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा से प्राप्त अभिलेख से जाहिर होता है कि उक्त आवेदन नियम 157 के प्रार्थीया/गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा आवेदित है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टा संख्या 1906 जारी किये जाने की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार नहीं की जाकर दूषित जान पडती है।

पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) तहत जारी किये जाने वाले विक्रय विलेख में नियमानुसार पूरी प्रकिया अपनाई जाने के पश्चात् पंचायती राज नियम 154 के तहत विक्राय की पुष्टि नियम (3) में विहित प्रकिया अनुसार पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस संबंध में विक्रय विलेख 1906 दिनांक 04.12.2004 के संबंध पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 154(3) के तहत जहॉ नीलामी राशि रकम 10000/– रूपये से अधिक है वहां पंचायत को नियम 154(3)(अ)(ब)(स) के तहत सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है जो कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से किसी भी प्रकार से सक्षम स्तर से नीलामी का पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जाना जाहिर होता है। इस संबंध में जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है, या जहॉ अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलामी उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा या जहॉ तक नियम 144 के उप नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो। ग्राम पंचायत प्राईवेट बातचीत के जरिये अंतरण कर सकती है। इसके साथ ही नियम 156 के उप नियम 2 में प्रावधित किया गया है कि किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप–रजिस्ट्रार द्वारा नियत और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत के नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी। उक्त प्रावधानों के तहत ही ग्राम पंचायत प्राईवेट बातचीत के जरिये अंतरण कर सकती है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से उक्तानुसार भी प्रक्रिया का पालन किया जाना ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा नहीं जाहिर होता है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा से प्राप्त मूल अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हस्तगत प्रकरण में मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के स्पष्ट रूप से अनदेखी जाहिर होती है।

इस संबंध में विकास अधिकारी भदेसर द्वारा पत्रांक/पंसभ/पंचायत/2016–17/1109 दिनांक 28.03.2017 से अवगत कराया गया कि प्रकरण संख्या 006/2017 विकास अधिकारी बनाम सागर कुंवर पत्नि अर्जुनसिंह राजपूत निवासी ब्यावर में अंकेक्षण वर्ष 2004–05 के पैरा संख्या 23(ब) के अनुसार राशि 166750/– अक्षरे एक लाख छासठ हजार सात सौ पचास रूपये ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा को नाम चेक संख्या 001516 दिनांक 14.03.2017 ‘‘द फेडरल बैंक शाखा मुधवन, उदयपुर के नाम का चैक प्राप्त हो चुकने का तथ्य है, तो इस संबंध में हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध को ही देखे जाने के प्रावधान है, एवं न्यायालय इसी तथ्य के संबंध में क्षेत्राधिकारिता रखता है, न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी पट्टे के नियमितीकरण की नहीं है। अतः संबंध में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों, उप–नियमों एवं प्रावधानो की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही गैर–निगराकार प्रकरण में अनुपस्थित रहे है ऐसी स्थिति में निगरानी का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में जाहिर आता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा त्रुटि कारित की गई है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 1906 दिनांक 04.12.2004 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर द्वारा विवादित पट्टा संख्या 1906 दिनांक 04.12.2004 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 1906 दिनांक 04.12.2004 जो कि गैर निगराकार संख्या 1 सागर कुंवर पत्नि अर्जुन सिंह राजपूत निवासी ब्यावर के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा पंचायत समिति भदेसर को निर्देश प्रदान किये गये है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 162 में अधिकथित प्रक्रिया व नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए पात्र व्यक्तियों का चिन्हिकरण कर नियमानुसार आवंटन कार्यवाही करें एवं विक्रय विलेख निष्पादित करें। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भदेसर को निर्देश दिये गये है कि वे उपलब्ध रिक्त भूमि बाबत समुचित योजना नियम 142 एवं राज्य सरकार के परिपत्र एफ(19)एन.एस./पीसी/आर.डी.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पी./92/82 दिनांक 12.07.1996 के अनुसार तैयार करावें एवं नियम 140 से 162 के तहत सुसंगत कार्यवाही ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा के स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करावें। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 1 का किसी भी प्रकार से उक्त भूखण्ड पर पात्रता/अधिकारिता है कि तो ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है एवं गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा सीएजी पैरा के तहत प्रस्तुत अन्तर राशि रूपये 166750/– अक्षरे एक लाख छासठ हजार सात सौ पचास रूपये के पुर्नभरण हेतु ग्राम पंचायत धीरजी का खेडा में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं विकास अधिकारी भदेसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **11.08.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़